

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मैनपुरी

पत्र संख्या- मु0चि0अ0/एम-1/चि0प्र0/प्रति0/22-23/169 दिनांक 22/12/22

सेवा में,

सीबीएल जेन
जेमपद मैनपुरी

विषय- श्री रचना रावत सीबीएल के चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या ^{मेमो} दिनांक 22/12/2022 के कम में अवगत कराना है कि श्री रचना रावत ^{इयटी} को अपनी जाँच हेतु मेरे समक्ष उपस्थित हुये। मैं इनका परीक्षण किया और पाया कि यह अपनी ड्यूटी करने के लिये स्वस्थ हैं और आप द्वारा भेजे गये इनके चिकित्सा प्रमाणपत्र 14/11/22 से 25/02/23 तक के बिना प्रतिहस्ताक्षरित करके मूल रूप में संलग्न कर इस आशय से वापस भेजे जा रहे हैं, क्योंकि ये इनकी विगत बीमारी से सम्बन्धित है। इनकी पिछली बीमारी के सम्बन्ध में कोई राय देना सम्भव नहीं है।

श्री रचना रावत ^{अपु} सीबीएल का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने हेतु वोल्यूम- 11 के पार्ट - 4 नियम- 96-बी के अन्तर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्रों के आधार पर शिथिल करते हुये स्वीकृति करने की संस्तुति दी जाती है।

श्री रचना रावत ^{इयटी} सीबीएल के हस्ताक्षर नीचे प्रमाणित किये जा रहे हैं।

संलग्नक - चिकित्सा प्रमाणपत्र।

Rachna
22/12/2022

हस्ताक्षर प्रमाणित

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मैनपुरी

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मैनपुरी